

राज्य सरकार

बनाम

दीपक दत्ता, दुर्गा स्वीट्स, झरिया

Date of order

Order with the Signature of the Court

Office action
taken with date

14.8.20

यह वाद अभिहित पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक 1286/सा0 दिनांक 22.6.20 द्वारा विपक्षी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 49 एवं 51 अंतर्गत प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सुश्री अदिति सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, धनबाद द्वारा विपक्षी के दुकान से दिनांक 04.10.2019 को 200ग्राम X 04 पैकेट खोवा का कय कर नमूने प्राप्त किया गया। उक्त नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची भेजा गया। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त खोवा की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा -3(1)(zx)के अंतर्गत Sub-standard पाया गया। अभिहित पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए विपक्षी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-49 एवं 51 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। इसके आलोक में विपक्षी से कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

विपक्षी द्वारा कारण-पृच्छा दाखिल किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि यह वाद कानूनी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं है। विपक्षी निर्दोष है एवं उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। उक्त दुकान उनके परिवार की जीविका का एक मात्र साधन है। विपक्षी द्वारा खोवा तैयार नहीं किया गया है। बल्कि उनके द्वारा स्थानीय दुध विक्रेता से उक्त खोवा कय किया गया है। उनका कहना है कि उनका खोवा तैयार करने में कोई भूमिका नहीं है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा गम्भीर अपराध नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, धनबाद का कथन है कि विपक्षी के दुकान से प्राप्त 'खोवा' खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के निर्धारित माप-दण्ड के अनुरूप जांचोपरांत नहीं पाया गया। इसके लिए विपक्षी दोषी है तथा दण्ड के भागी हैं।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, धनबाद को सुना। साथ ही विपक्षी के कारण-पृच्छा एवं अभिलेख

में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त 'खोवा' का विधिवत रूप संकलन कर राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम, रांची में जांच हेतु भेजा गया था। प्रयोगशाला से प्राप्त खाद्य विश्लेषक प्रतिवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमावली, 2011 के माप-दण्ड के अनुरूप नहीं पाया गया। विपक्षी का कहना है कि उक्त 'खोवा' स्थानीय दुध विक्रेता से कय किया गया है। परंतु उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त सामग्री स्थानीय दुध विक्रेता से कय किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त खोवा उनके परिसर से प्राप्त हुआ है जिसके लिए वे स्वयं दोषी है। अधिनियम के प्रावधानानुसार मानक के अनुरूप खाद्य सामग्री नहीं पाये जाने पर उत्पादन, विक्रय, भण्डार, वितरण एवं आयत करने वाले व्यक्ति स्वयं उसके लिए उत्तरदायी है। अतएव विपक्षी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-51 के अंतर्गत दोषी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधान के उल्लंघन करने के निमित्त मात्र 25,000.00 (पच्चीस हजार) रुपये का अर्थ दण्ड दिया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि दण्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक के कौश बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो अद्योहस्ताक्षरी को भुगतये होगा, एक पक्ष के अंदर जमा करें। साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, धनबाद को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को नजातर-उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में जमा कराना सुनिश्चित करें। दण्ड की राशि जमा नहीं करने पर उसके वसूली हेतु नियम-संगत अन्य अपेक्षित कार्रवाई भी सुनिश्चित करायें।

इस आदेश की प्रतिलिपि उभय पक्षों के साथ-साथ प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, धनबाद तथा नजारत उप-समाहर्ता, धनबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजे।

लेखापित्त एवं संशोधित

न्यायिक अधिकारी
-सह-
उपायुक्त, धनबाद

न्यायिक अधिकारी
-सह-
उपायुक्त, धनबाद

109
17.8.20
Complaint
Office